



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner of Customs & Central Tax
विशाखापट्टनम क्षेत्र Visakhapatnam Zone

प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र
 1st Floor, GST Bhavan, Port Area,
 विशाखापट्टनम Visakhapatnam - 530035

डीजीएचआरडी/एसी-डीसी/37/2021

स्थापना आदेश (रा.प.) सं. 10/2021

दिनांक : 12.06.2021

सीबीआईसी के फा.सं.A.22013/01/2021-Ad.II से जारी कार्यालय आदेश संख्या 59/2021 दिनांक 4 जून, 2021 के अनुसरण में, विशाखापत्तनम सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर क्षेत्र में सहायक आयुक्त संवर्ग में निम्नलिखित स्थानान्तरण एवं तैनाती को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक के लिए आदेशित किया जाता है:

क्र. सं.	कर्मचारी कोड	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमति/कु.)	कहां से	कहां को
1	9943	चाकू मुर्मु	आबंटन पर	सीमा शुल्क सदन, विशाखापट्टनम
2	9974	सीएच. विल्सन बाबू	आबंटन पर	गुंटुर सीजीएसटी आयुक्तालय
3	9951	पी. मुरली कृष्णा	आबंटन पर	मुख्यालय, सीपीसी, विजयवाडा
4	9823	के. मालती	आबंटन पर	तिरुपति सीजीएसटी आयुक्तालय
5	10015	टी. अमृत राव	आबंटन पर	काकीनाडा सीमा शुल्क सदन, सीपीसी विजयवाडा
6	9596	सीएच. उषा किरण	आबंटन पर	तिरुपति सीजीएसटी आयुक्तालय
7	10009	जी. रवि कुमार	आबंटन पर	लेखा परीक्षा आयुक्तालय
8	10016	बी. राजेश्वर राव	आबंटन पर	गुंटुर सीजीएसटी आयुक्तालय
9	10375	टी. रंगा राव	आबंटन पर	विशाखापट्टनम सीजीएसटी आयुक्तालय
10	10340	के. भानू मूर्ति	आबंटन पर	सीमा शुल्क सदन, विशाखापट्टनम
11	9890	सी. चरण कुमार रेड्डी	आबंटन पर	वीएसईजेड
12	9707	सीएच. वीर वेंकट रेड्डी	आबंटन पर	विशाखापट्टनम सीजीएसटी आयुक्तालय
13	9916	के. जगन मोहन	आबंटन पर	सीमा शुल्क सदन, विशाखापट्टनम
14	10245	के.आर. अरुण कुमार	आबंटन पर	लेखा परीक्षा आयुक्तालय
15	9950	डी. नागराजू	आबंटन पर	गुंटुर सीजीएसटी आयुक्तालय
16	9795	जी. सुनील	आबंटन पर	तिरुपति सीजीएसटी आयुक्तालय
17	9778	वाई.एम. विजय कुमार	आबंटन पर	कृष्णपट्टनम सीमा शुल्क सदन, सीपीसी विजयवाडा

2. जिन अधिकारियों को उनके वर्तमान स्टेशन से स्थानांतरित किया गया है, वे 03-08-2021 को या उससे पहले अपने नए पदस्थापन पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। शेष अधिकारियों को अपने नए पदस्थापन स्थान पर 14-6-2021 से पहले कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 6-8-2021/18-6-2021 को या उससे पहले, जैसा लागू हो, इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाए।
3. आबंटित अधिकारियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदन इस आदेश के साथ निस्तारित किए जाते हैं।
4. इसे प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापत्तनम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता.

(वाई. भास्कर राव)

संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.)

सेवा में

संबंधित अधिकारियों को।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सभी प्रधान आयुक्त / आयुक्त, सीमा शुल्क / केंद्रीय कर, विशाखापत्तनम क्षेत्र।
2. अवर सचिव, एडी-II, सीबीआईसी, नई दिल्ली।
3. अतिरिक्त महानिदेशक (एचआरएम-II), डीजीएचआरडी, दीपशिखा भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली।
4. सभी मु.ले.अ. / वे.ले.अ., सीजीएसटी और सीमा शुल्क, विशाखापत्तनम जोन।
5. नोटिस बोर्ड/स्टॉक फाइल/वेबसाइट।